कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल

क्रमांक ..../नातौ/अ–1(1)/2007,   भोपाल दिनांक ....

प्रति,

मेसर्स ....

....

....

....

विषयः– व्हे ब्रिजेस की जांच के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत यह देखने आया है कि आपके द्वारा जिन व्हे ब्रिजेस का निर्माण किया जाकर जिन संस्थानों को विक्रय हेतु प्रदाय किया जा रहा है उन संस्थानों द्वारा म.प्र. बांट तथा माप मानक (प्रवर्तन) नियम 1989 को नियम 22(5) के अनुसार व्हे ब्रिज की क्षमता का 10 वां भाग अथवा एक टन जो भी कम होगा उनके वजन के बराकर सत्यापित और मुद्रांकित बांट प्रत्येक तौल के उपकरण के स्थान पर रखेगा किंतु यह पाया गया है कि संबंधित संस्थानों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है परिणामतः जांच पश्चात उनके विरूद्ध अभियोजन प्रकरण पंजीबंद्ध किये गये है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन संस्थानों को आपको द्वारा व्हे ब्रिज निर्माण पश्चात् विक्रय किये गये है एवं उनके रख–रखाव की जिम्मेदारी का अनुबंध आपसे किया गया है ऐसे सभी संस्थानों को नियमानुसार परीक्षण बांट तौल स्थल पर आवश्यक रूप से रखें जाने हेतु अवगत करावें। संस्थान के पास परीक्षण बांट उपलब्ध होने की स्थिति में ही व्हे ब्रिज स्थापित किया जावे। नियमों का पालन सुनिश्चित न होने की दशा में दोषी संस्थानों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आपको भी जिम्मेदार मानते हुये आपके विरूद्ध भी नियमानुसार अनुज्ञप्ति निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

नियंत्रक
नाप तौल म.प्र. भोपाल

पृ.क्रं. 682/नातौ/अ–1(1)/07 भोपाल दिनांक, 3.3.07

प्रतिलिपि —:

1. समस्त उप/सहायक नियंत्रक, नाप तौल, मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत पदस्थ निरीक्षकों से उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवायें।
2. समस्त निरीक्षक, नाप तौल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

नियंत्रक
नाप तौल, मध्यप्रदेश भोपाल